

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

-:: निविदा आमंत्रण सूचना-::-

क्रमांक / यू.पी.एस. बैटरी कथ नरती/

देवास, दिनांक-


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास रथापना के उपयोग हेतु यू.पी.एस. बैटरी कथ किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	बैटरियों की संभावित संख्या / नग	रिमार्क
1	कुल 68 नग यू.पी.एस. इमरसन कंपनी क्षमता 1 के.वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	136	कम से कम 01 वर्ष की वारंटी पुरानी बैटरी के बॉयबैक मूल्य के साथ
2	कुल 05 नग यू.पी.एस. इमरसन कंपनी क्षमता 800 वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	10	
3	कुल 35 नग यू.पी.एस. न्यूमेरिक कंपनी मॉडल डिजिटल 1000 वी.ए. यू.पी.एस. की बैटरी (समकक्ष कंपनी)	70	
4	कुल 19 नग यू.पी.एस. सायबर पॉवर कंपनी यू.टी. मॉडल 1500 वी.ए. क्षमता यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	38	
5	कुल 30 नग यू.पी.एस. सायबर पॉवर कंपनी मॉडल 2200 वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	60	

उक्त यू.पी.एस. हेतु प्रत्येक के लिए 2-2 बैटरी कथ किये जाने हेतु बैटरी विकेताओं से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक बैटरी विकेता, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के कार्यालयीन समय में निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक 16/9/23 के साथ 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में "कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के नाम आवक-जावक अनुभाग में निविदा मय केटलॉग सहित संलग्न निविदा आवेदन में वित्तीय प्रस्ताव का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा।


 (प्रभात कुमार मिश्र)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
✓ देवास (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

निविदा हेतु आवेदन-पत्रः

क.

- 01 विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा का नाम एवं पता
- 02 दूरभाष नंबर / मोबाईल नंबर
- 03 विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा के मालिक का नाम
- 04 विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा का पंजी / जी.एस.टी. क्रमांक
- 05 क्या विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा देवास की अधिकृत संरथा है ? यदि हाँ तो विवरण दें।
- 06 यदि अधिकृत विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा हो तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- 07 क्या शासन ने विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें।
- 08 विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संरथा का बैंक का नाम / खाता क्रमांक मय आई.एफ.एस.सी. कोड सहित
- 09 वित्तीय प्रस्ताव :-

क.

विवरण

यू.पी.एस. बैटरी का मॉडल निर्माण वर्ष	प्रति नग. जी.एस. राशि	प्रतिनग. टी.	पुरानी कुल राशि	बैटरी का रूपये	प्रतिनग. शुद्ध राशि
--	--------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------------

- 01 यू.पी.एस.
इमरसन कंपनी क्षमता 1 के.वी.ए. यू.पी.एस
के लिए बैटरी (रामकक्ष कंपनी)
- 02 यू.पी.एस.
इमरसन कंपनी क्षमता 800 वी.ए. यू.पी.एस. के
लिए बैटरी (रामकक्ष कंपनी)
- 03 यू.पी.एस. न्यूमेरिक कंपनी मॉडल डिजिटल
1000 वी.ए. यू.पी.एस. की बैटरी (रामकक्ष
कंपनी)
- 04 यू.पी.एस. सायदर पॉवर कंपनी
यू.टी. मॉडल 1500 वी.ए. क्षमता यू.पी.एस.
के लिए बैटरी (रामकक्ष कंपनी)
- 05 यू.पी.एस. सायदर पॉवर कंपनी मॉडल 2200
वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (रामकक्ष कंपनी)

निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

//निविदा शर्ते//

कं. / 2023

देवास, दिनांक

01. बैटरी सामग्री हेतु प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा के साथ राशि रुपये 1,000/- (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) OTC चालान द्वारा शासकीय 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800 मद में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत की जावे एवं शर्तों व सामग्री की सूची रखी जावे। आवेदन-पत्र की राशि रुपये 1000/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
02. सफल निविदाकर्ता अर्थात् जिस फर्म का निविदा प्रस्ताव स्वीकार किया जावेगा, उसको निविदा के साथ परफार्मेंस गारण्टी के रूपये में 10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जो सामग्री की आपूर्ति व इन्स्टालेशन करने के 01 माह बाद लौटाई जावेगी।
03. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा विगत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
04. सभी प्रकार के करों व क्य मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे। केटलॉग अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। केटलॉग के अभाव में निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
05. क्य की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन जिला मुख्यालय देवास अथवा तहसील न्यायालयों सोनकच्छ, बागली, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव में किया जावेगा। उक्त संबंध में आपूर्ति किये जाने संबंधी कोई पृथक परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जावेगा।
06. क्य की गई सामग्री को 01 वर्ष की वारंटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाईट जिला न्यायालय देवास अथवा तहसील न्यायालयों सोनकच्छ, बागली, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव) में जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।
07. सामग्री इन्स्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
08. मांग का आदेश करने से 15 दिवस के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इन्स्टॉलेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्य की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
09. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
10. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
11. उपरोक्त सामग्री के क्य की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को होगा।
12. क्य की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्य की गई सामग्री अमानक पाये जाने

पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

13. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्न:- निविदा फार्म

(प्रभात कुमार मिश्रा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

✓ देवास (म.प्र.)